सं. ए 12025/05/2011-प्रशासन I
भारत सरकार
योजना आयोग

योजना भवन, संसद मार्ग,
नई दिल्ली, दिनांक 01 अगस्त, 2011

सेवा में,

केन्द्र सरकार के सभी विभागों / राज्य सरकारें / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनो / विश्वविद्यालय,

विषय :- योजना आयोग में सलाहकार (कृषि) का एक पद पर पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति (जिस में अल्पावधिक अनुबंध शामिल है) / सीधे भर्ती द्वारा भर्ती ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि योजना आयोग में पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति (जिस में अल्पावधिक अनुबंध शामिल है) अथवा सीधे भर्ती के तीनों पद्धतियों में से कोई एक के द्वारा सलाहकार (कृषि) के एक पद को भरने का प्रस्ताव है । उक्त पद हेतु योग्य और इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं और सभी आवेदनों पर एक-साथ विचार किया जायेगा । नियुक्ति के लिए अधिकारी की उपयुक्तता और उपलब्धता के आधार पर चयन के समय नियुक्ति का सही-सही तरीका निश्चित किया जाएगा । उक्त पद योजना आयोग में सामान्य केन्द्रीय सेवा (संवर्ग बाह्य) के समूह 'क' के पद है और इन्हे एस.ए.जी. स्तर पर अथवा एच.ए.जी. स्तर पर भरा जा सकता है ।

2. केन्द्र या राज्य सरकार के विभागों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या सार्वजनिक उपक्रमों या अर्ध सरकारी या सांविधिक एवं स्वायत्त संगठनों में कार्यरत अधिकारी तथा विभागीय संयुक्त सलाहकार, जो अनुबंध में दिए गए शर्तें पूरी करते हैं, एक साथ विचार किया जाएगा । यदि कोई विभागीय अतिरिक्त सलाहकार/ संयुक्त सलाहकार नियुक्ति के लिए चुना जाता है तो उनकी नियुक्ति प्रोन्नति पर मानी जाएगी । अन्य अभ्यर्थियों के संबंध में उन पर प्रतिनियुक्ति अथवा सीधे भर्ती के लिए, जैसी स्थिति हो, विचार किया जाएगा ।

3. पद से संबंधित वेतनमान, पात्रता की शर्तें, अर्हताएं एवं अनुभव तथा पद से संबद्ध कार्यों का विवरण अनुलग्नक में दर्शाए गए हैं ।

4. केन्द्र या राज्य सरकारों के मंत्रालयों या विभागों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध है कि इस रिक्ति को अपने अधीन कार्यरत समुचित स्तर के सरकारी उपक्रमों या अर्ध सरकारी या सांविधिक एवं स्वायत्त संगठनों तथा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं में कार्यरत अधिकारियों सहित, सभी अधिकारियों के लिए व्यापक प्रचार करें ।

5. उन अधिकारियों के आवेदनों को जो पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हों और जिन्हें चयन की सूचना की तारीख से एक माह की अवधि के अंतर्गत कार्यग्रहण करने के लिए कार्यमुक्त किया जा सकता हो, उम्मीदवार द्वारा उचित रूप से हस्ताक्षर करवा कर तथा कार्यालय प्रधान या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षर किया गया प्रासंगिक प्रपत्र अर्थात् परिशिष्ट 1 अथवा परिशिष्ट 2 में, यथा प्रासंगिक, पूर्ण रूप से भरकर निम्नलिखित दस्तावेजों सहित (दो प्रतियों में) अग्रेषित किया जाए :-

(i) संबंधित उम्मीदवार का अद्यतन गोपनीय रिपोर्ट डोजियर अथवा पिछले पांच वर्षों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों की फोटोप्रतियाँ जो कि एक ऐसे अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित की गई हों जो भारत सरकार के अवर सचिव से कम स्तर का ना हों,

-/-

(ii) किसी अधिकारी, जो भारत सरकार के उप सचिव के स्तर से कम न हो, के द्वारा हस्ताक्षर किया गया (निर्धारित प्रपत्र में) सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र,

(iii) सतर्कता प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रपत्र में) जिसमें इस बात का उल्लेख हो कि संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक तथा फौजदारी कार्यवाही न तो लंबित है और न ही अपेक्षित है (केवल ऐसे उम्मीदवारों के आवेदन भेजें जो सतर्कता दृष्टि से मुक्त हो) , तथा

(iv) विगत 10 वर्षो के दौरान उम्मीदवार पर लगाए गए बड़े / छोटे दंडों की सूची, यदि कोई हो अथवा दंड नहीं प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रपत्र में), यथा प्रयोज्य ।

6. कृपया यह ध्यान में रखा जाए कि परिशिष्ट-1 उनके लिए है जो सीधे भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते है, जबकि परिशिष्ट-2 उनके लिए है जो पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन करना चाहते हैं । यदि कोई उम्मीदवार प्रतिनियुक्ति और सीधे भर्ती दोनों के लिए आवेदन करना चाहते है तो वे सुसंगत प्रपत्र में अलग-अलग आवेदन भेजेंगे ।

7. यह रिक्ति रोजगार समाचार में भी शीघ्र ही प्रकाशित की जाएगी । आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि रोजगार समाचार में विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 60 दिन होगी ।

8. इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 2 जनवरी, 2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. एबी-14017/89/2007-स्थापना (आर.आर.) के अनुसार एक बार आवेदन करचुके अभ्यर्थी पर विचार करने के बाद नियुक्ति के लिए मंत्रीमंडल नियुक्ति समिति द्वारा के आमोदन हो जाने पर यदि उक्त अभ्यर्थी नियुक्ति के प्रस्ताव को अस्वीकार करते है, तो उस के बाद अपने मूल कैडर के बाहर के पद के लिए उस अभ्यर्थी का कोई आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा ।

9. आवेदन कर्ता यह सुनिश्चित करें कि उनका आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में है तथा पूर्णरूप से भरा हुआ हो। प्रपत्र का कोई भी स्तंभ खाली नहीं होना चाहिए । यदि कोई सूचना अप्रयोज्य या शून्य हो तो कृपया इसे स्पष्ट करें । केवल उन्हीं आवेदनों पर विचार किया जाएगा जो संपूर्ण हों और अपेक्षित दस्तावेजों सहित उचित माध्यम द्वारा अंतिम तिथि या उससे पहले इस कार्यालय में प्राप्त हों । अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त अथवा गैर-प्रपत्र अथवा असंपूर्ण अथवा अग्रिम आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा ।

भवदीय,

(जी. राजीव)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष एवं फैक्स : 23096531

सूचनार्थ प्रतिलिपि प्रेषित :

1. उपाध्यक्ष / योजना राज्य मंत्री/ सभी सदस्य/ सदस्य-सचिव/ प्रधान सलाहकार, योजना आयोग के निजी सचिव, योजना आयोग
2. सभी प्रभागाध्यक्ष / सलाहकार (प्रशासन), योजना आयोग

(जी. राजीव)
अवर सचिव, भारत सरकार

योजना आयोग में सलाहकार (कृषि) का एक को पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति (अल्पावधिक अनुबंध सहित) अथवा सीधे भर्ती द्वारा भरने के लिए पात्रता की शर्तों का ब्यौरा :-

1. वेतनमान :

वेतन बैण्ड 4 : 37400-67000 रू. में ग्रेड पे रू.10000/- **अथवा** एच.ए.जी. वेतन मानः रू.67000-(वार्षिक वेतनवृद्धि 3% के साथ)- रू.79000/-
(नियुक्ति के लिए चयन किए गए अधिकारी की अर्हताएं तथा अनुभव के आधार पर चयन के समय सही-सही वेतनमान का निर्धारण किया जाएगा)

2. पद से संबद्ध कार्य :

(i) कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा, कृषि विस्तार एवं प्रशासन, कृषि इनपुट, खाद्यान्नों कि विकास, वाणिज्य फसल और बागानी फसल, पशु संवर्धन, मछली पालन और डायरिंग से संबंधित कार्यक्रमों व नीतियों के संबंध में योजना आयोग को सलाह देना।
(ii) कृषि योजनाओं और कार्यक्रमों के मानीटरिंग तथा मूल्यांकन का निरीक्षण करना।
(iii) योजना आयोग में कृषि प्रभाग के समूह समन्वय अधिकारी के रूप में कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान का मार्गदर्शन, संचालन तथा निरीक्षण करना।

3. अर्हता निर्णय करने के लिए अंतिम तिथि :

पद के लिए अर्हता निर्णय करने के लिए निर्णायक तिथि आवेदन प्राप्ति के लिए अंतिम तिथि होगी ।

4. अर्हताएं :

क. 10000/- रू. ग्रेड पे के साथ वेतन बैण्ड 4 : 37400-67000 रू. के लिए :

क 1. पदोन्नति के लिए :

8700/- रू. के ग्रेड पे के साथ वेतन बैण्ड 4: 37400-67000 रू. में ऐसे विभागीय संयुक्त सलाहकार जिन्होने उक्त ग्रैड में नियमित नियुक्ति के बाद तीन वर्ष की सेवा की हो और मद संख्या 5 में दिए गए सीधे भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों ।

क 2. प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित) के लिए

1. केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य प्रशासनों (जिसके अंतर्गत उनसे संबद्द और अधीनस्थ कार्यालय भी है) या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या लोक उपक्रमों या अर्धसरकारी या सांविधिक या स्वायत्त संगठनों के ऐसे अधिकारी जो -

(क) (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों, या

-/-

(ii) मूल काडर या विभाग में 8900 रू. के ग्रेड पे के साथ वेतन बैण्ड 4: 37400-67000 रू वाले पदों पर दो वर्ष नियमित सेवा की हों, या

(iii) मूल काडर या विभाग में 8700 रू. के ग्रेड पे के साथ वेतन बैण्ड 4: 37400-67000 रू वाले पदों पर तीन वर्ष नियमित सेवा की हों, और

(ख) मद संख्या 5 में दिए गए सीधे भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों ।

(जहां कर्मचारी औद्योगिक भत्ते से शासित होते हैं वहां उनकी समतुल्यता का अवधारण केन्द्रीय सरकार के अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा । उन मामलों में जहां केन्द्रीय या औद्योगिक महंगाई भत्ता लागू नहीं होता है वहां अधिकारी या तो शीर्ष स्तरीय प्रबंधकीय स्थिति धारण करता हो या ऐसे स्तर पर निरन्तर पांच वर्ष सेवा की हो जो कर्तव्यों और दायित्वों के अनुसार केन्द्रीय सरकार में निदेशक के स्तर के तुल्य हो)।

2. किसी विश्वविद्यालय के ऐसे सह-आचार्य, जिन्होंने 9000 रू. के अकादमी ग्रेड पे के साथ वेतन बैण्ड 4: 37400-67000 रू वाले पदों में मूल संगठन में दो वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास मद संख्या 5 में दिये गए सीधे भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं ।

क 3 <u>सीधे भर्ती के लिए</u>

कोई और ऐसे उम्मीदवार जो मद संख्या 5 में दिए गए शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखैते हों ।

ख. **<u>एच.ए.जी. वेतन मान : 67000-(वार्षिक वेतनवृद्धि 3% के साथ)-79000 रू के लिए :</u>**

ख 1. <u>पदोन्नति :</u>

10000/- रू. के ग्रेड पे के साथ वेतन बैण्ड 4: 37400-67000 रू. में ऐसे विभागीय सलाहकार जिन्होने उक्त ग्रेड में नियमित नियुक्ति के बाद तीन वर्ष की सेवा की हों और मद संख्या 5 में दिए गए सीधे भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों ।

ख 2. <u>प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित)</u>

1. केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य प्रशासनों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या लोक उपक्रमों या अर्धसरकारी या सांविधिक या स्वायत्त संगठनों के ऐसे अधिकारी जो -

(क) (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों, या

(ii) मूल काडर या विभाग में 10000 रू. के ग्रेड पे के साथ वेतन बैण्ड 4: 37400-67000 रू वाले पदों पर तीन वर्ष नियमित सेवा की हों, या

-/-

(ख) मद संख्या 5 में दिए गए सीधे भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों ।

(जहां कर्मचारी औद्योगिक भत्ते से शासित होते हैं वहां उनकी समतुल्यता का अवधारण केन्द्रीय सरकार के अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा । उन मामलों में जहां केन्द्रीय या औद्योगिक महंगाई भत्ता लागू नहीं होता है वहां अधिकारी जो केन्द्रीय सरकार में संयुक्त सचिव से तुल्य स्तर से कम का न हो, उसको निरन्तर तीन वर्ष के लिए कर्तव्यों और दायित्वों के निबंधनों में शीर्ष स्तर प्रबंधकीय स्थिति धारण करना चाहिए)।

2. किसी विश्वविद्यालय के ऐसे आचार्य, जिन्होंने 10000 रू. के अकादमी ग्रेड पे के साथ वेतन बैण्ड 4: 37400-67000 रू वाले पदों में मूल संगठन में तीन वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास मद संख्या 5 में दिये गए सीधे भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं ।

ख 3 <u>सीधे भर्ती के लिए</u>

कोई और ऐसे उम्मीदवार जो मद संख्या 5 में दिए गए शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों ।

5. <u>पद के लिए निर्धारित अर्हताएं और अनुभव (सभी प्रकार की भर्ती पद्धतियों अर्थात् पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित) / सीधे भर्ती के लिए प्रयोज्य) (अर्हता निर्धारित करने के लिए अंतिम तिथि की स्थिति के अनुसार) :</u>

अनिवार्य:

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि या कृषि अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री या समतुल्य; और

(ii) सुसंगत विद्याओं में समूह 'क' या समतुल्य स्तर पर, वेतन बैण्ड 4: 37400-67000 रू. और ग्रेड वेतन 10000 रू. के लिए 17 वर्ष का अनुभव (पीएच.डी. धारकों के लिए) या 20 वर्ष का अनुभव (एम. फिल. या मास्टर डीग्री धारकों के लिए) और एच.ए.जी. वेतनमान 67000-79000 रू. के लिए 25 वर्ष का अनुभव (पीएच.डी. धारकों के लिए) या 28 वर्ष का अनुभव (एम. फिल. या मास्टर डीग्री धारकों के लिए), जिसमें से कम से कम पाँच वर्ष का अनुभव परियोजना या कार्यक्रम के प्रतिपादन और उनकी मानीटरी या मूल्यांकन या आंकन में होना चाहिए ।

वांछनीय:

(i) कृषि या कृषि विज्ञान या कृषि अर्थशास्त्र में डाक्टरेट डिग्री; या

(ii) कृषि उत्पादन या विकास में जिला या खंड या परियोजना स्तर पर क्षेत्र अनुभव; या

(iii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार में कृषि विकास या विस्तार में परियोजनाओं या स्कीमों की मानीटरी और मूल्यांकन या आंकन करने का अनुभव; या

(iv) कृषि क्षेत्र में परियोजना के विकल्प के संबंध में सलाह देने का अनुभव।

-/-

6. आयु सीमा (आवेदन प्राप्ति के लिए अंतिम तिथि को) :

(1) पदोन्नति पर नियुक्ति के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है । यद्यपि, सभी औपचारिकताएँ / अनुमोदन पूरे होने के बाद अंतिम नियुक्ति की तिथि को अभ्यर्थि का सेवा में रहते रहना आवश्यक है ।

(2) प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित) आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन प्राप्ति की तिथि को 56 वर्ष ।

(3) सीधे भर्ती पर नियुक्ति के लिए अधिमानतः 50 वर्ष से कम (सरकारी कर्मचारी के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार 5 वर्षो तक की छूट दी जाएगी) ।

7. प्रतिनियुक्ति / अनुबंध की अवधि :

प्रतिनियुक्ति / अनुबंध की अवधि केन्द्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन / विभाग में अथवा किसी संवर्ग बाह्य पद पर इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित, सामान्यतया पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति की शर्ते भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17 जून, 2010 के समय-समय पर यथा संशोधित कार्यालय ज्ञापन सं.6/8/2009-स्था.(पी.2) में निहित आदेशों के अनुसार विनियमित किए जाएंगे तथा अनुबंध पर आने वालों के मामलों में, शर्तें संबद्ध प्राधिकरण के परामर्श से तय की जाएंगी ।

परिशिष्ठ-I

सलाहकार ( ) के पद मे सीधे भर्ती के लिए आवेदन प्रपत्र

आवेदन दो प्रतियों में फोटोप्रति कागज (ए-4 साईज) पर (शुद्ध रूप से टंकण किया गया) निम्न विवरणों को देती हुई, होनी चाहिए । (आवेदनकर्ता अपनी अवेदन में यह बात स्पष्ट रूप से प्रकट करें कि वे रू.10000 ग्रेड वेतन के साथ वेतन बैण्ड 4 : रू.37400-67000 के लिए आवेदन कर रहे हैं अथवा रू.67000-(वार्षिक वेतनवृद्धि 3% के साथ)- 79000 वाले एच.ए.जी. के लिए आवेदन कर रहे हैं । कोई स्पष्ट सूचना न होने की स्थिति में आवेदन को निम्नस्तर अथवा रू.10000 ग्रेड वेतन के साथ वेतन बैण्ड 4 : रु.37400-67000 के लिए विचार किया जाएगा)

पासपोर्ट आकार की फोटो चिपका कर हस्ताक्षर करें ।

1. **आवेदित वेतनमान**
2. **पूरा नाम**
3. **जन्म तिथि**
4. **राष्ट्रीयताद्र**
5. **पिता / पति का नाम**
6. **पत्राचार के लिए पता और दूरभाष संख्या, यदि कोई हो तो**
7. **क्या अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति से संबंधित हैं**
8. **शैक्षिक / व्यावसायिक अर्हताएं (उत्तीर्ण परीक्षा, विश्वविद्यालय / बोर्ड, उत्तीर्ण करने का वर्ष, श्रेणी / डिविजन, विषय इत्यादि के बारे में स्पष्ट करें)**

-/-

9. वर्तमान में धारित पद से शुरू करते हुए, वर्तमान / पूर्व रोजगार का कालानुक्रमिक विवरण (नियोजक का नाम, पूरा पता, धारित पद, सेवा अवधि, कार्य स्वभाव इत्यादि सहित)
10. प्रकाशित प्रतिवेदन / लेख
11. चुने जाने पर पदभार ग्रहण करने के लिए वांछित न्यूनतम कालावधि
12. उल्लेख सहित और कोई अन्य सूचना जो देना चाहे

तिथि : हस्ताक्षर
स्थान :

परिशिष्ट-II

सलाहकार ( ) के पद मे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित) के लिए आवेदन प्रपत्र

(आवेदनकर्ता अपनी अवेदन में यह बात स्पष्ठ रूप से प्रकट करें कि वे रू.10000 ग्रेड वेतन के साथ वेतन बैण्ड 4 : रू.37400-67000 के लिए आवेदन कर रहे हैं अथवा रू.67000-(वार्षिक वेतनवृद्धि 3% के साथ)- 79000 वाले एच.ए.जी. के लिए आवेदन कर रहे हैं। कोई स्पष्ट सूचना न होने की स्थिति में आवेदन को निम्नस्तर अथवा रू.10000 ग्रेड वेतन के साथ वेतन बैण्ड 4 : रु.37400-67000 के लिए विचार किया जाएगा)

आवेदित वेतनमान

1. नाम
2. जन्म तिथि
3. अधिकारी पर लागू सेवा नियमों के अनुसार सेवा निवृत्ति की तिथि
4. (क)यदि संगठित सेवा से संबद्ध हैं, तो उसका नाम, संवर्ग आवंटन का सन (ख)संवर्ग नियंत्रण प्राधीकरण का नाम
5. शैक्षिक अर्हताएं :

निर्धारित अर्हताएं	अधिकारी द्वारा धारित अर्हताएं (केवल उन्हीं अर्हताओं को दर्शाएं जो निर्धारित अर्हताओं के समकक्ष हो अथवा उच्च हो)
आवश्यक (1)	
(2)	
(3)	
वांछनीय (1)	
(2)	
(3)	

टिप्पणी : यदि अधिकारी की अर्हता वही नहीं है जो निर्धारित है या निर्धारित अर्हता से उच्च है और निर्धारित अर्हता के समतुल्य मानी जाती है, तो उस संबंध में प्राधीकरण का नाम बताएं।

6. अधिकारी ने यदि कोई प्रशिक्षण लिया हो जिसका आवेदन किए गए पद से संबद्ध हो

संबद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम	अवधि से	अवधि तक	संगठन का नाम जहॉं प्रशिक्षण लिया	प्रशिक्षण कार्यक्रम का स्वरूप	अभ्युक्तियॉं

7. (1) वर्तमान पद जिस पर कार्यरत हैं
(2) पूरा वेतनमान

-/-

(3) वर्तमान वेतन यदि कोई है

(4) विशेष वेतन यदि कोई है

टिप्पणी : यदि अधिकारी कोई विशेष वेतन प्राप्त करता है तो कृपया निम्नलिखित सूचना भी दी जाए :

(क) क्या विशेष वेतन से जुडी हुई नियुक्ति सावधि नियुक्ति है, तथा

(ख) क्या विशेष वेतन पद के लिए अलग वेतनमान के लिए वेतनमान के अतिरिक्त विशेष रूप से स्वीकृत किया गया है

(5) क्या आप इस पद पर नियमित या तदर्थ आधार पर अथवा प्रतिनियुक्ति के आधार पर हैं ?

(6) किस तारीख से इस पद पर हैं ?

(7) यदि नियमित वर्तमान पद पहले तदर्थ आधार पर है तो पद पर नियमित होने का तारीख

8. यदि वर्तमान पद पर नियमित आधार पर नहीं हैं तो

(क) नियमित आधार पर धारित पद

(ख) उसका वेतनमान

(ग) किस तारीख से नियमित आधार पर हैं

9. पद जिस पद पर आधिकारी स्थाई क्षमता धारित करता है

10. 1. यदि वर्तमान पद समकक्ष है तो

(क) क्या वर्तमान पद कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 07-03-1984 के का.ज्ञा.सं.19017 / 27 / 75-स्थापना(डी)-भाग की शर्तों के अनुसार एक सदृश पद है

(ख) पद से संबद्ध कार्य

(ग) यदि वर्तमान पद जिसे एक सदृश पद माना गया है गैर-केन्द्रीय सरकारी कार्यालय में है, तो इस संबंध में निम्नलिखित सूचना दी जाए :

(1) वेतनमान के पिछले संशोधन की तारीख

(2) क्या केन्द्रीय महंगाई भत्ता / औद्योगिक महंगाई भत्ता मिलता है

(3) वेतनमान के न्यूनतम पर ग्राह्य महंगाई वेतन इत्यादि की धनराशी

- महंगाई वेतन
- महंगाई भत्ता
- अंतरिम राहत

2. यदि वर्तमान पद एक सदृश पद नहीं है तो

(क) दिनांक जिससे 14300-18300 रू. / 16400-2000 रू. / 18400-22400 रू. या 16400-22400 रू. (प्रोफेसरों के संबंध में) संशोधन-पूर्व वेतनमान का पदभार ग्रहण किया

(ख) यदि उम्मीदवार किसी गैर सरकारी कार्यालय में कार्यरत है तो

(1) पूर्ण संशोधन-पूर्व वेतनमान जो कि दिनांक जिससे 14300-18300 रू. / 16400-2000 रू. / 18400-22400 रू. या 16400-22400 रू. (प्रोफेसरों के संबंध में) वेतनमान के समकक्ष हो

(2) वेतनमान की अंतिम संशोधन की तारीख

(3) क्या केन्द्रीय महंगाई भत्ता / औद्योगिक महंगाई भत्ता मिता है

(4) वेतनमान के न्यूनतम पर ग्राह्य महंगाई वेतन इत्यादि की धनराशी

- महंगाई वेतन
- महंगाई भत्ता
- अंतरिम राहत

-/-

11. सेवाओं का विवरण

पद का नाम	न्योक्ता का नाम	अवधि		वेतनमान	कार्यभार का स्वरूप
		से	तक		

12. चयन क्षेत्र में आवश्यक अनुभव

टिप्पणी : कृपया अनुसंधान / विकास / अभिकल्पना / योजना में अथवा परियोजनाओं / योजनाओं के प्रतिपादन / कर्यानिषापादन के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियों के प्रकाशित कार्य की प्रतियों को प्रस्तुत करें ।

13. पिनकोड एवं दूरभाष सहित वर्तमान डाक पता

14. क्या अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति से संबंध है

15. अन्य संबंध्द सूचना

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

स्थान :

दिनांक :

प्रेषित करने वाले कार्यालय के प्रयोग के लिए

सं. : दिनांक :

उपरोक्त इंदराजों की जांच की गई है और इस कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार सही पाए गए हैं ।

हस्ताक्षर :

नाम :

कार्यालय की मोहर :

<u>मुख्य टिप्पणी :</u> आवेदक अपने इच्छा के अनुसार प्रतिनियुक्ति अथवा सीधे भर्ती के लिए निर्धारित अलग अलग प्रोफार्मों में से प्रत्येक मामले में लागु प्रोफार्मों में अपना आवेदन (दो प्रतियों में) भेजेंगे । प्रतिनियुक्ति और सीधे भर्ती दोनों के लिए विचारार्थ आवेदन करने के इच्छुक व्यक्ति अपना आवेदन सुसंगत और उपयुक्त प्रपत्र में अलग अलग भेजेंगे और आवेदन कर्ता अपने आवेदन के ऊपरी पंक्ति में यह सुस्पष्ठ लिखें कि वे किस पद्दति के लिए आवेदन करना चाहते हैं ।

<u>प्रतिनियुक्ति आधार पर आवेदन करने वाले अभ्यार्थियों के आवेदन के साथ संलग्न करने के लिए अपेक्षित प्रमाणपत्रों के प्रपत्र</u>

<u>सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र</u>

योजना आयोग में सलाहकार (   ) के पद पर प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन कर चुके, डा/श्री/श्रीमती/सुश्री ______________________ के वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों की संवीक्षा करने के बाद यह प्रमाणित किया जाता है कि उनकी सत्यनिष्ठा संतोषजनक है ।

(उप सचिव या उससे उच्च स्तर के अधिकारी के द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए)नाम और कार्यालय की मोहर :

दिनांक :

-/-

सतर्कता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग में सलाहकार (   ) के पद पर प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन कर चुके डा/श्री/श्रीमती/ सुश्री ________________________ के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक तथा फौजदारी कार्यवाही न तो लंबित है और न ही अपेक्षित है ।

(अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)
नाम और कार्यालय की मोहर :
दिनांक :

दंड नहीं प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग में सलाहकार (   ) के पद पर प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन कर चुके डा/श्री/श्रीमती/ सुश्री ________________________ पर पिछले 10 वर्षों के दौरान कोई दंड नहीं लगाया गया ।

(अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)
नाम और कार्यालय की मोहर :
दिनांक :

******

No. A-12025/05/2011Adm.I
GOVERNMENT OF INDIA
PLANNING COMMISSION

Yojana Bhavan, Sansad Marg,
New Delhi, the 01 August, 2011

To
All Central Government Departments / State Governments / UT Administrations / Universities

SUB:- Recruitment to One GCS post of Adviser (Agriculture) in Planning Commission on Promotion / Deputation (including short-term contract) / Direct Recruitment basis.

Sir,

I am directed to say that the Planning Commission proposes to make recruitment to one post of Adviser (Agriculture) by any of the three methods, namely, Promotion OR Deputation (including short-term contract) OR Direct Recruitment.. Applications are being invited from the eligible and interested candidates and all these applicants shall be considered simultaneously. The exact method of appointment shall be decided at the time of selection depending on the suitability of the officer recommended for appointment. The post is Group 'A' posts belonging to General Central Service (Ex-Cadre) of Planning Commission and can be filled up at SAG level or at HAG level.

2. The officers working under Central or State Governments or Union Territory Administrations or Universities or Recognised Research Institutions or Public Undertakings or Semi-Government or Statutory or Autonomous Organisations & other Non-Government Bodies and also the Departmental Advisers and Joint Advisers, who fulfill the conditions specified in the Annexure would be considered simultaneously. If a Departmental Adviser or Joint Adviser is selected for appointment, the post shall be treated as having been filled by Promotion. In the case of other candidates, they would be considered for appointment on Deputation OR Direct Recruitment, as the case may be.

3. The scale of pay, the eligibility conditions, the qualifications and experience and the duties attached to the post are indicated in the enclosed Annexure.

4. Ministries or Departments of Central or State Governments or UT Administrations are requested to give wide publicity to this vacancy among the officers of appropriate level under their control including those working in Public Undertakings or Semi-Government or Statutory or Autonomous Organisations and Recognised Research Institutions under their administrative control.

5. The applications (in duplicate), along with the following documents, in respect of the candidates who fulfill the eligibility conditions and who can be spared for taking up the assignment within one month of the intimation of selection, may be forwarded in the appropriate and relevant proforma i.e. Appendix I or Appendix II, as may be applicable, duly signed by the candidate and countersigned by the Head of Office or any other officer authorized to sign :-

(i) Up-to-date Confidential Report Dossier of the candidate concerned or photocopies of the Annual Confidential / Annual Performance Appraisal Reports of the candidate for the latest available five years duly attested by an Officer not below the rank of Under Secretary to the Govt. of India;

-/-

(ii) Integrity Certificate (in the prescribed proforma) signed by an Officer not below the rank of Deputy Secretary to the Govt. of India;

(iii) Vigilance Clearance (in the prescribed proforma) indicating that no disciplinary proceedings or criminal proceedings are either pending or contemplated against the Officer concerned [Applications of only those candidates who are clear from vigilance angle need be forwarded]; and

(iv) List of major/ minor penalties, if any, imposed on the candidate during the last 10 years OR No Penalty Certificate (in the prescribed proforma), as the case may be.

6. It may please be noted that Appendix-I is for those who wish to apply for the method of Direct Recruitment, whereas Appendix-II is applicable to those who wish to be considered for Promotion OR Deputation (including short-term contract). In case any candidate is willing for Deputation as well as Direct Recruitment, he / she should submit separate applications in the appropriate proformae.

7. The vacancy is also being published in the Employment News shortly. The closing date for receipt of applications will be 60 days from the date of publication of the advertisement in the Employment news.

8. It may also be taken note of that in terms of DoPT's OM No. AB-140117/89/2007-Estt.(RR), dated 2nd January, 2008, once a candidate has applied for being considered for the post and he/she is considered and selected by the ACC, ordinarily, he/she should not decline the appointment and if he/she declines the appointment he/she will not be considered for any further appointment outside his/her cadre.

9. Applicant should ensure that the application is complete in all respects and is in the prescribed format. No column of the format should be left blank. Wherever information is not applicable or nil, it may please be so stated. Only complete applications received through proper channel along with all the documents mentioned in para 5 above on or before the specified closing date shall be considered. Applications received after the last date or those which are not in the prescribed format or those which are incomplete or advance applications will not be considered.

Yours faithfully,

(G. Rajeev)
Under Secretary to the Government of India
Telefax.23096531

Copy forwarded for information :-

1. PS to Deputy Chairman / PS to MoS/All Members/ Member-Secretary/ Principal Advisers, Planning Commission
2. All Heads of Divisions / Adviser (Administration), Planning Commission

(G. Rajeev)
Under Secretary to the Government of India

-/-

ANNEXURE

Details of eligibility conditions for GCS post of Adviser (Agriculture) in Planning Commission to be filled on Promotion / Deputation (including short-term contract) / Direct Recruitment basis :-

1. SCALE OF PAY :

PB 4 : Rs.37400-67000 + Grade Pay of Rs.10000/- **OR**
HAG Pay Scale of Rs.67000-(with annual increment @ 3%)-79000
[Exact Scale of Pay / Grade Pay to be decided at the time of selection depending upon the qualifications and experience of officer selected for appointment]

2. DUTIES ATTACHED TO THE POST :

(i) To advise the Planning Commission on policies and programmes relating to agricultural research and education, agricultural extension and administration, agricultural inputs, development of food grains, commercial crops and plantation crops, animal husbandry, fisheries and dairying.
(ii) To supervise the monitoring and evaluation of agricultural plans and programmes.
(iii) As group co-ordination officer for the Agriculture Division in the Planning Commission, to guide, conduct and supervise research in agriculture and allied fields.

3. CRUCIAL DATE FOR DETERMINING ELIGIBILITY :

The crucial date for determining the eligibility will be the last date for receipt of applications.

4. ELIGIBILITY :

A. FOR PAY BAND 4 : Rs.37400-67000 WITH THE GRADE PAY OF Rs.10000 :

A.I FOR PROMOTION:

Departmental Joint Advisers in Pay Band 4 : Rs.37400-67000 with Grade Pay of Rs.8700/- with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis and possessing the educational qualifications and experience prescribed for the post as mentioned under item No. 5 below.

A.II FOR DEPUTATION (INCLUDING SHORT-TERM CONTRACT):

1. Officers under the Central Government or State Governments or Union Territory Administrations (including their attached and subordinate offices) or Universities or Recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Statutory or Autonomous Organizations and other Non-Government Bodies :

(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or

-/-

(ii) with two years' regular service in posts in PB 4 : Rs.37400-67000 with a Grade Pay of Rs.8900/- or equivalent in the parent cadre or department; or

(iii) with three years regular service in posts in PB 4 : Rs.37400-67000 with a Grade Pay of Rs8700/- or equivalent in the parent cadre or department.

(b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for the post as mentioned under item No. 5 below.

[Where the employees are governed by Industrial Dearness Allowance, their equivalence will be determined as per the Central Government's instructions. In cases where Central or Industrial Dearness Allowance is not applicable, the officer should be holding either a top-level managerial position or should have put in at least three years continuous service at a level comparable to that of Director in the Central Government in terms of duties and responsibilities]

2. Associate Professors in Pay Band 4 : Rs.37400-67000 with Academic Grade pay of Rs.9000/- in any University on regular basis with two years of service in the parent organization and possessing the educational qualifications and experience prescribed for the post as mentioned under item No. 5 below.

A.III FOR DIRECT RECRUITMENT:

Any other candidates possessing educational qualifications and experience prescribed for the post as mentioned under item No. 5 below.

B. FOR HAG PAY SCALE OF RS.67000-[with annual increment @ 3%]-79000 :

B.I FOR PROMOTION:

Departmental Advisers in PB 4 : Rs.37400-67000 with Grade Pay of Rs.10000/- with three years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis and possessing the educational qualifications and experience prescribed for the post as mentioned under item No. 5 below.

B.II FOR DEPUTATION (INCLUDING SHORT-TERM CONTRACT):

1. Officers under the Central Government or State Governments or Union Territory Administrations (including their attached and subordinate offices) or Universities or Recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Statutory or Autonomous Organizations and other Non-Government Bodies :

(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department ; and

-/-

(ii) with three years' regular service in posts PB4: Rs.37400-67000 with a Grade Pay of Rs.10000/- or equivalent in the parent cadre or department.

(b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for the post as mentioned under item No. 5 below.

[Where the employees are governed by Industrial Dearness Allowance, their equivalence will be determined as per the Central Government's instructions. In cases where Central or Industrial Dearness Allowance is not applicable, the officer should be holding either a top-level managerial position not below the level comparable to that of Joint Secretary in the Central Government in terms of duties and responsibilities continuously for three years]

2. Professors in PB 4 : Rs.37400-67000 with Academic Grade pay of Rs.10000/- in any University on regular basis with three years of service in the parent organization and possessing the educational qualifications and experience prescribed for the post as mentioned under item No. 5 below.

B.III **FOR DIRECT RECRUITMENT:**

Any other candidates possessing educational qualifications and experience prescribed for the post as mentioned under item No. 5 below.

5. QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE FOR THE POST [APPLICABLE TO ALL CATEGORIES i.e. PROMOTIONOR DEPUTATION (INCLUDING SHORT-TERM CONTRACT) OR DIRECT RECRUITMENT [TO BE DETERMINED AS ON CRUCIAL DATE FOR DETERMINING THE ELIGILITY] :

Essential:

(i) Masters' Degree in Agriculture or Agricultural Sciences or Agricultural Economics from a recognized University or equivalent; and

(ii) Possessing 17 years' experience (for Ph.D. holders) or 20 years' experience (for M. Phil. or Masters' Degree holders) for Pay Band 4 : Rs.37400-67000 with Grade Pay of Rs.10,000; and 25 years' experience (for Ph.D. holders) or 28 years' experience (for M. Phil or Masters' Degree holders) for HAG Scale of Rs.67000-79000 at a Group 'A' or equivalent level, in relevant disciplines, out of which at least five years shall be in formulation of projects or programmes and their monitoring or evaluation or appraisal.

Desirable:

(i) a Doctorate Degree in Agriculture or Agricultural Sciences or Agricultural Economics; or

(ii) field experience at district or division or project level in agricultural production or development; or

-/-

(iii) experience of monitoring and evaluation or appraisal of projects or schemes in agricultural development or extension in the Central or State Government; or

(iv) experience in tendering advice on choice of projects in the field of Agriculture.

6. AGE LIMIT (AS ON CLOSING DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS):

(i) For appointment by promotion, there shall be no maximum age limit. However, the candidate must be 'in-service' as on the date of final appointment after completion of all formalities/ approvals necessary for such appointment.

(ii) For appointment by deputation (including short-term contract) age shall not be exceeding 56 years as on the closing date for receipt of applications.

(iii) For appointment by direct recruitment age not exceeding 50 years. (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).

7. PERIOD OF DEPUTATION / SHORT-TERM CONTRACT :

The period of deputation / short-term contract including the period of deputation/ short-term contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisation/ department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. The terms and conditions of deputation will be regularised according to the orders contained in the Govt. of India, DoPT's OM No.6/8/2009-Estt.(P.II), dated 17th June, 2010 as amended from time to time and in the case of those coming on contract, the terms will be settled in consultation with the concerned authority.

APPENDIX-I

PROFORMA OF APPLICATION FOR THE POST OF ADVISER (AGRICULTURE) FOR DIRECT RECRUITMENT

Application should be sent in duplicate on plain photocopying paper (A-4 size) (to be neatly typed) giving the following details (Applicants should clearly indicate in their application whether they would like to be considered for PB 4: Rs.37400-67000 with Grade Pay of Rs.10000/- or for HAG Pay Scale of Rs.69000-(with annual increment @ 3%)-79000, in the absence of which they would be considered for lower level of PB 4 : Rs.37400-67000 with Grade Pay of Rs.10000/- only).

Affix passport size photograph and sign across

1. Pay scale applied for :
2. Name in full (in block letters)
3. Date of birth
4. Nationality
5. Father's name / Husband's name
6. Address for correspondence (in block letters) and telephone number, if any.
7. Whether SC / ST

-/-

8. Educational / Professional Qualifications (indicating clearly the examination passed, University/ Board, Year of Passing, Class/ Division, Subjects taken.)
9. Details of present / previous employment(s) held in chronological order starting from the present position first (including the name of the employer with full address, post held, period of service, nature of duties, etc.)
10. Reports / Articles published.
11. If selected, the minimum time required to join the post.
12. Any other information you wish to add including references, etc.

Date:
Place :

Signature

APPENDIX-II

PROFORMA OF APPLICATION FOR THE POST OF ADVISER (AGRICULTURE) [FOR PROMOTION/ DEPUTATION (INCLUDING SHORT-TERM CONTRACT)]

(Applicants should clearly indicate in their application whether they would like to be considered for PB 4: Rs.37400-67000 with Grade Pay of Rs.10000/- or for HAG Pay Scale of Rs.69000-(with annual increment @ 3%)-79000, in the absence of which they would be considered for lower level of PB 4 : Rs.37400-67000 with Grade Pay of Rs.10000/- only).

Pay scale applied for:

1 Name
2. Date of Birth
3. Date of retirement under the service rules applicable to the Officer
4. (a) If he/ she belongs to an organized service, its name, year of allotment and the cadre.
   (b) Name of the Cadre Controlling Authority.
5. Educational Qualifications:-

Qualifications prescribed		Qualifications possessed by the Officer [Only those qualifications which are equivalent to or higher than the prescribed qualifications need to be shown].
Essential	(i)	
	(ii)	
	(iii)	
Desirable	(i)	
	(ii)	
	(iii)	

Note : If any qualification possessed by the officer is not the same or higher than the qualification prescribed and is treated as equivalent to the qualification prescribed, please state the authority for the same.

6. Training, if any, received by the Officer, which is relevant to the post applied for:
7. (i) Present post held
   (ii) Full scale of pay
   (iii) Present pay and the date from which drawn
   (iv) Special pay, if any

-/-

Note : If the officer draws any special pay, the following further information may also be furnished:

a. Whether the appointment to which the special pay is attached is a tenure appointment; and
b. Whether the special pay has been specifically sanctioned for the post in addition to the scale of pay in lieu of a separate scale of pay for the post.

(v) Whether the post is held on regular / ad-hoc basis or on deputation basis.

(vi) Date from which held

(vii) If the present post is held on regular basis but was initially held on ad-hoc basis, the date from which it is held on regular basis.

8. If the present post is not held on regular basis:-

(a) The post held on regular basis

(b) Its scale of pay

(c) Date from which held on regular basis.

9. Post, if any, which the officer holds in a substantive capacity.

10. 1. If the present post is an analogous post:-

a. Is the present post an analogous post in terms of DP&AR OM No.19017/37/75-Estt.(D)(Pt.), dated 07-03-1984.
b. Duties attached to the post.
c. In case the present post which is regarded as analogous is in a non-Central Govt. office, the following information may also be given:-
    i. Date of last revision of the scale of pay
    ii. Whether governed by Central DA/ Industrial DA
    iii. Amount of Dearness Pay etc. admissible on the minimum/ maximum of the scale of pay
        1. Dearness Pay
        2. Dearness Allowance
        3. Interim Relief

2. If the present post is not an analogous one:-

a. The date from which the post is held on regular basis and the Pay Band & Grade pay attached thereto;
b. In the case of a candidate working in a non-Central Government office-
    i. The full Pay Band & Grade Pay / Pay Scale along with equivalent Pay Band/ Grade Pay in the Government.
    ii. Date of last revision of scale of pay
    iii. Whether governed by Central DA/ Industrial DA; and the amount of Dearness Pay, etc. admissible on the minimum/ maximum of the scale of pay
        1. Dearness Pay
        2. Dearness Allowance
        3. Interim Relief

11. Details of Service

Name of the post	Employer	Duration		Scale of pay	Nature of Duties
		From	To		

12. Experience in the required field of selection.
    Note : Kindly furnish copies of published work highlighting achievements in the field of research/ development/ design/ planning or in the execution/ formulation of plans/ projects.
13. Present postal address with Pin Code Number and Telephone Number.
14. Whether belongs to SC / ST.
15. Any other relevant information.

Place : (SIGNATURE OF THE CANDIDATE)
Date :

FOR OFFICIAL USE BY THE FOWARDING OFFICE

No. Date :

The above entries have been verified from the records available in this office and found correct.

Signature :
Name :
Seal of the office:

<u>IMPORTANT NOTICE:</u> The applicants should submit their applications separately in the appropriate proforma applicable to them for Direct Recruitment or Deputation (in duplicate) as per their preference. Those desirous of being considered for both Deputation and Direct Recruitment should submit two separate applications in the relevant and appropriate proforma clearly mentioning on the top of application the category for which they wish to apply.

[FORMAT OF VARIOUS CERTIFICATES REQUIRED TO BE ENCLOSED SEPARATELY ALONGWITH THE APPLICATION OF CANDIDATE WHO APPLIES FOR DEPUTATION (INCLUDING SHORT-TERM CONTRACT) BASIS]

INTEGRITY CERTIFICATE

After scrutinizing Annual Confidential Reports of Dr./Shri/Smt./Ms. ______________________, ______________ who has applied for the post of Adviser (________________) in the Planning Commission on Deputation basis, it is certified that his/ her integrity is beyond doubt.

[To be signed by an Officer of the rank of Deputy Secretary or above]
Name & Office Seal :
Date :

-/-

VIGILANCE CLEARANCE CERTIFICATE

Certified that no vigilance case or disciplinary proceeding or criminal proceeding is either pending or contemplated against Dr./Shri/Smt./Ms. ________________________, ______________ who has applied for the post of Adviser (__________) in the Planning Commission on Deputation basis.

[Authorised signatory]

Name & Office Seal :

Date :

NO PENALTY CERTIFICATE

Certified that no minor/ major penalty has been imposed on Dr./Shri/Smt./Ms. ________________________, ______________ who has applied for the post of Adviser (___________) in the Planning Commission on Deputation basis during the last ten years.

[Authorised signatory]

Name & Office Seal :

Date :

****